न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 28/2016 – प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन

1. गोपाल पिता रामसुख जाट निवासी होलीरडा तहसील व जिला भीलवाडा

बनाम

1. देवबक्ष पिता गंगाराम जाट निवासी होलीरडा तहसील व जिला भीलवाडा
2. ग्राम पंचायत आकोली जरिये सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत आकोला तहसील व जिला भीलवाडा

–प्रार्थी / निगराकार

–अप्रार्थी / गैर निगराकार

पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व ग्राम पंचायत आकोला मिसल सं. 45/2045 पटटा कमांक 7 दिनांक 30.09.1989 प्रार्थना पत्र आदेश 47 सी.पी.सी. व्यवहार प्रकिया संहिता

उपस्थित –

1. श्री उदयलाल जाट अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री जगदीश चन्द्र दाधीच अधिवक्ता – अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 06.06.2018

प्रार्थी ने पुनर्विलोकन याचिका विरूद्व निर्णय दिनांक 31.07.2017 प्रकरण सं. 40/2016 निगरानी गोपाल बनाम देवबक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भीलवाडा ने यह जो निर्णय किया है वह वस्तुस्थिति व कानून से परे हैं, क्योंकि न्यायालय ने यह निर्णय पुराने आवासगृह का मानकर किया हैं, जो सर्वथा गलत हैं, क्योंकि वादग्रस्त भूखण्ड गैर निगराकार ने सार्वजनिक निलामी से खरीद किया हैं। यह निलामी पंचायत द्वारा सार्वजनिक निलामी की प्रकिया पूर्ण करके की गयी थी व प्रार्थी गैर निगराकार इस निलामी में सक्सेसफुल बीडर था । बीडर होने से गैर निगराकार सं. 01 के नाम पर निलामी कतई की गई व निलामी की सम्पूर्ण राशि गैर निगराकार द्वारा अदा कर दी गई और पंचायत ने पटटा जारी किया। न्यायालय ने इस निगरानी का निर्णय आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा मानते हुये पटटा जारी करना माना जो 300 गज अधिकतम क्षैत्रफल के लिये मानकर निर्णय किया, जो न्यायालय द्वारा क्लेरिकल मिस्टेक है व फेस ऑफ दी रिकार्ड हैं, क्योंकि यह पटटा पुराने आवासगृह के लिए नहीं है वरन् निलामी में खरीदा गया भूखण्ड हैं, जिसकी कोई सीमा माप की निश्चित नहीं हैं। यह पंचायत राज अधिनियम के नियम 23 के इस पर लागू नही होता है। इस कारण इस निर्णय पर पुनः विचार कर अजसरे निर्णय कराया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना हैं कि पुनः विचार प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा

अजसरे निर्णय रिकार्ड के साथ फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 29.09.2017 को पंजीकृत करते हुये विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी सं. 01 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी ।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 04 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि न्यायालय ने निर्णय पुराने आवासगृह का मानकर किया हैं, जो सर्वथा गलत हैं, क्योंकि वादग्रस्त भूखण्ड गैर निगराकार ने सार्वजनिक निलामी से खरीद किया हैं। यह निलामी पंचायत द्वारा सार्वजनिक निलामी की प्रक्रिया पूर्ण करके की गयी थी व प्रार्थी गैर निगराकार इस निलामी में सक्सेसफुल बीडर था । बीडर होने से गैर निगराकार सं. 01 के नाम पर निलामी कतई की गई व निलामी की सम्पूर्ण राशि गैर निगराकार द्वारा अदा कर दी गई और पंचायत ने पटटा जारी किया। न्यायालय ने इस निगरानी का निर्णय आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा मानते हुये पटटा जारी करना माना जो 300 गज अधिकतम क्षैत्रफल के लिये मानकर निर्णय किया, जो न्यायालय द्वारा क्लेरिकल मिस्टेक है व फेस ऑफ दी रिकार्ड हैं, क्योंकि यह पटटा पुराने आवासगृह के लिए नहीं है वरन् निलामी में खरीदा गया भूखण्ड हैं, जिसकी कोई सीमा माप की निश्चित नहीं हैं। यह पंचायत राज अधिनियम के नियम 23 के इस पर लागू नही होता है। इस कारण इस निर्णय पर पुनः विचार कर अजसरे निर्णय कराया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थी अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त पंचायत (सामान्य) नियम आबादी भूमि का बेचान पेज नं. 271 प्रस्तुत किया।

विपक्षी सं. 01 की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका सर्वथा मिथ्या, आधारहीन होने से निरस्तनीय हैं। उक्त निगरानी प्रकरण दिनांक 31.07.2017 को स्वीकार की जाकर पटटा सं. 07 दिनांक 03.09.1989 को निरस्त कर दिया गया । जिसके विरूद्व प्रार्थी ने उच्च न्यायालय में कोई भी रिट अथवा अन्य कोई कार्यवाही नहीं करायी । पुनर्विलोकन का स्कोप अत्यन्त सीमित होता है। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर द्वारा प्रार्थी का पटटा निरस्त किये जाने में किसी भी विधि एवं तथ्यों की भूल नहीं की है। जिससे प्रार्थी द्वारा पेश किया गया पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निराधार होने से निरस्तनीय हैं ।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । रिव्यू (पुनरीक्षण) का अवसर विस्तार – "यदि निर्णय अभिलेख के अवलोकन से ही त्रुटि दृष्टिगोचर के दोष से पीड़ित है तो इसे पुनरीक्षण प्रक्रियाओं में ठीक किया जा सकता है , परन्तु यदि निर्णय त्रुटिपूर्ण है अथवा न्यायालय द्वारा किन्हीं दस्तावेजों, तथ्यों, साक्ष्यों या विधि के बारे में त्रुटिपूर्ण दृष्टि अपनाई गई है तो ऐसे मामलों को पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता है । पुनरीक्षण याचिका किसी अपील या रिट पिटिशन का स्थान नहीं ले सकती है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमती मीरा भान्जा बनाम निर्मला कुमारी चौधरी ए.आई.आर. 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 455 में पुनरीक्षण के बारे में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है– ''

Review error apparent on face of record , means an error which strike one or more looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points of where there may conceivably be two opinons.''

उक्त निर्णय के प्रावधान इस प्रकरण में भी लागू होते हैं । निगरानी प्रकरण सं. 40/2016 में उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रकरण को दिनांक 31.07.2017 को ही निर्णित कर दिया गया। न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सुनवाई की जाकर ही प्रकरण का निस्तारण किया गया है। प्रकरण के निर्णय करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुयी हैं। प्रार्थी रिव्यू प्रार्थना पत्र में नये तथ्य प्रस्तुत कर निर्णय को परिवर्तित कराना चाहता है, जो पोषणीय नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी के रिव्यू प्रार्थना पत्र में पुनरीक्षण के कोई आधार नहीं होने से यह रिव्यू प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है । **अतएव–**

आदेश

प्रार्थी ने रिव्यू प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण सं. 40/2016 निर्णय दिनांक 31.07.2017 के संबंध में प्रस्तुत किया हैं। इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण सं. 40/2016 निर्णय दिनांक 31.07.2017 में प्रथम दृष्टतया कोई अशुद्वि नहीं हुयी एवं गणना में भी कोई त्रुटि नहीं रही हैं । प्रार्थी रिव्यू प्रार्थना पत्र में नये तथ्य प्रस्तुत कर निर्णय को परिवर्तित कराना चाहता हैं । जो विधि सम्मत नहीं होने से प्रार्थी के रिव्यू प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/06/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा